



सांभर अब ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा : दिया कुमारी

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया सांभर महोत्सव का आगाज़

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर । उपमुख्यमंत्री तथा पर्यटन मंत्री दिया कुमारी के मुख्य आतिथ्य तथा पूर्व विधायक निर्मल कुमावत, अतिरिक्त कलेक्टर जयपुर आशीष कुमार, सांभर एसडीएम ऋषि राज कपिल, पर्यटन उपनिदेशक उपेन्द्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में 27 से 31 दिसम्बर तक पांच दिवसीय सांभर महोत्सव का झण्डा में शुभारम्भ हुआ। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दोपहर 12 बजे हज़ारों सैलानियों की उपस्थिति में सांभर महोत्सव का उद्घाटन करने के बाद क्राफ्ट एवं फूड स्टॉल का भ्रमण किया तथा कलाकार एवं हस्तशिल्पियों का उत्साह वर्धन किया। दिया कुमारी ने इस अवसर पर डाक कार्ड का विमोचन किया और पतंग प्रदर्शनी एवं फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सांभर फेस्टिवल की सभी को बधाई देते हुए देश-विदेश से आए पर्यटकों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष फेस्टिवल का आयोजन और भी बड़े स्तर पर किया जा रहा है तथा अगले वर्ष यह और भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सांभर फेस्टिवल ने अब वैश्विक पर्यटन मंच पर अपनी अलग पहचान बना ली है। सांभर अब ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है।

दिया कुमारी ने कहा कि सांभर की विशिष्ट पहचान इसका अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य है। शीत ऋतु में यूरोप और उत्तरी एशिया से आने वाले विभिन्न प्रजाति के पक्षी, विशेषकर ग्रेटर फ्लेमिंगो, सांभर को वैश्विक पहचान दिलाते हैं। दिया कुमारी ने कहा कि सरकार पर्यटकों की



उपमुख्यमंत्री तथा पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने पांच दिवसीय सांभर महोत्सव का झण्डा में शुभारम्भ किया। इस मौके पर पूर्व विधायक निर्मल कुमावत, अतिरिक्त कलेक्टर आशीष कुमार, सांभर एसडीएम ऋषि राज कपिल, पर्यटन उपनिदेशक उपेन्द्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे।

सुविधाओं के लिए विकास कार्य कर रही है, उन्होंने कहा कि सड़क कनेक्टिविटी विकास को लेकर निरंतर कार्य किये जा रहें हैं।

उपमुख्यमंत्री ने पर्यटकों से सांभर के प्राकृतिक सौंदर्य, स्थानीय आकर्षणों और लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों का भरपूर आनंद लेने का आह्वान किया। उन्होंने जयपुर सहित सभी पर्यटन प्रेमियों से आग्रह किया कि वह सांभर में

आयोजित हो रहे इस फेस्टिवल में अधिक से अधिक सहभागिता कर यहां के अद्भुत प्राकृतिक रमणीयता का आनंद लेवे, साथ ही यहां स्थित विभिन्न पर्यटक स्थलों को भी देखें। उन्होंने पर्यटकों से यह भी आग्रह किया कि वे सभी यहां के वीडियो और फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जरूर अपलोड करें।

विभिन्न कला और शिल्प स्टालों, फोटोग्राफी

■ सांभर की विशिष्ट पहचान इसका अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य है। शीत ऋतु में यूरोप और उत्तरी एशिया से आने वाले विभिन्न प्रजाति के पक्षी, विशेषकर ग्रेटर फ्लेमिंगो, सांभर को वैश्विक पहचान दिलाते हैं : उपमुख्यमंत्री

प्रदर्शनी और फूड कोर्ट के साथ ही सांभर महोत्सव में फैसी एवं आकर्षक पतंग प्रदर्शनी एवं विशेष पतंग उड़ान गतिविधियों का प्रदर्शन किया गया। घोड़े की सवारी, ऊंट की सवारी और ऊंट गाड़ी की सवारी की गतिविधियों का पर्यटक आनंद लेते हुए दिखाई दिए।

झण्डों में इस भव्य पर्यटक मेले में में एडवेंचर गतिविधियाँ-पैरा सेलिंग, पैरा मोटरिंग, पैरा ग्लाइडिंग, जीप सफारी, एटीवी, बैलून राइड, साइकिलिंग जैसी गतिविधियों में पर्यटक शामिल होते हुए दिखे। इस अवसर पर लोक कलाकारों द्वारा शानदार कलात्मक प्रदर्शन किया गया।

इसी प्रकार 31 दिसंबर को हेरिटेज वॉक सांभर टाउन, फैसी पतंगबाजी प्रदर्शन कला और शिल्प स्टॉल, फोटोग्राफी प्रदर्शनी घुड़सवारी, ऊंट की सवारी और ऊंट गाड़ी की सवारी एडवेंचर गतिविधियाँ-पैरा सेलिंग पैरा मोटरिंग। पैरा ग्लाइडिंग, जीप सफारी, एटीवी, बैलून राइड, साइकिलिंग आदि लोक कलाकारों द्वारा स्ट्रीट परफॉर्मेंस प्रस्तावित है।

वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को पीजी डिग्री करने पर तीन अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ दें : हाईकोर्ट

जयपुर (कास)। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रार्थी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को वित्त विभाग के 21 दिसंबर 2017 के परिपत्र के अनुसार पीजी डिग्री करने के बाद तीन अग्रिम वेतन वृद्धि देने के निर्देश दिए हैं।

इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख चिकित्सा सचिव व निदेशक सहित संबंधित मेडिकल कॉलेज के रजिस्ट्रार को कहा है कि वह इन तीन अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ याचिकाकर्ता चिकित्सकों से नहीं वसूलें। जस्टिस मुनेरी लक्ष्मण की एकलपीठ ने यह आदेश डॉ. राजेन्द्र सिंह लखावत व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने बताया कि याचिकाकर्ता वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी पद पर हैं। सेवा अवधि के दौरान उन्होंने चिकित्सा और सर्जरी में पीजी की थी। जिस पर

नियमानुसार उनके मूल वेतन पर अग्रिम तीन वेतन वृद्धियों का लाभ देकर उनका वेतन नियमित किया गया। वहीं बाद में वित्त विभाग ने 26 जुलाई 2013 के परिपत्र का हवाला देते हुए उन्हें दिया तीन अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ एक जनवरी 2018 से प्रभावी माना, जबकि यह पीजी डिग्री प्राप्त करने की तारीख से लागू माना जाना चाहिए था। वहीं विभाग ने प्रार्थियों को सुनवाई का मौका दिए बिना ही इसकी रिकवरी का आदेश जारी कर दिया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि किसी भी परिपत्र या आदेश को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं कर सकते। प्रार्थियों को पीजी डिग्री पास करने की तिथि से ही तीन अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ मिलना न्यायोचित है। इसलिए 21 मई 2025 के आदेश को सेवा नियमों के विपरीत होने के कारण रद्द किया जाए।

पंच कुंडीय गायत्री महायज्ञ आज

जयपुर । अंग्रेजी नववर्ष-2026 की पूर्व वेला पर रविवार, 28 दिसंबर को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक गोविंद देवजी मंदिर में श्री मन्माध्व गोडेश्वराचार्य महंत अंजन कुमार गोस्वामी जी महाराज के सान्निध्य में नवसंकल्प सिद्धि गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। वर्ष 2025 में हुई भूतली, त्रुटियों की क्षमायाचना, अवगुणों का आत्मावलोकन कर प्रभु के समक्ष प्रार्थना कर श्रद्धालु ठाकुर श्री गोविंद देवजी के समक्ष नववर्ष 2026 के लिए शुद्ध, शुभाशुभक और रचनात्मक जीवन के शुभ संकल्प लेंगे। श्रद्धालु यज्ञ भगवान की साक्षी में यह संकल्प लेंगे कि वे एक बुराई का त्याग कर एक अच्छाई को अपनाएं। स्वयं, परिवार, समाज और राष्ट्र को उन्नति के पथ पर अग्रसर करेंगे। अखिल विश्व गायत्री परिवार, शांतिकुंज हरिद्वार के विद्वानों की टोली पंच कुंडीय यज्ञ संपन्न कराएंगी। महायज्ञ के माध्यम से नर-नारी की समानता, जाति-वंश से ऊपर उठकर मानवता, नैतिकता और संस्कारों को जीवन में उतारने का संदेश दिया जाएगा।

राज्यपाल से कुलगुरु डॉ. दुबे की शिष्टाचार भेंट



राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे से शनिवार को लोकभवन में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के नव नियुक्त कुलगुरु डॉ. राजेंद्र बाबू दुबे ने मुलाकात की। कुलगुरु बनने के बाद डॉ. दुबे की राज्यपाल से यह पहली शिष्टाचार भेंट थी।

पशुपालन विभाग में 1055 अधिकारी पदोन्नत हुए

जयपुर (कास)। पशुपालन विभाग के राजस्थान राज्य पशुपालन सेवा संवर्ग के वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक तथा अतिरिक्त निदेशक स्तर के विभिन्न संवर्गों के कुल 1055 पदों के लिए शुक्रवार को शासन सचिवालय में पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राजस्थान लोक सेवा आयोग के माननीय सदस्य डा. सुशील कुमार बिस्नु ने की। बैठक में शासन सचिव, पशुपालन विभाग डॉ. समित शर्मा, मुकुट बिहारी जांगिड़, संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक विभाग, दिनेश कुमार जांगिड़, संयुक्त शासन सचिव, पशुपालन विभाग एवं कार्यकारी निदेशक डॉ. सुरेश चन्द मीना भी उपस्थित थे। शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि विभाग में वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी, उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन की पदोन्नतियों का काफी समय से लम्बित थी। विभागीय पदोन्नति के अंतर्गत पात्रता एवं वरिष्ठता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों को उच्च पदों पर पदोन्नत किया है। इससे विभागीय कार्मिकों के मनोबल में वृद्धि होगी और कार्यप्रणाली भी सुदृढ़ होगी।

स्टील व्यापारियों से धोखाधड़ी करने वाले बदमाश पकड़े

जयपुर (कास)। पुलिस आयुक्तालय की विशेष टीम ने 15 साल से फरार चल रहे दस-दस हजार रूपए के इनामी आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। दोनो आरोपियों के खिलाफ जयपुर में कुल 11 प्रकरण दर्ज है और दोनों के खिलाफ करीब 15 साल से स्थाई वारंट जारी है।

उपायुक्त पश्चिम हनुमान प्रसाद ने बताया कि पुलिस मुख्यालय एवं पुलिस आयुक्तालय की ओर से वांछित एवं भंगोड़े अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। जिसके लिए विशेष टीम का गठन किया गया। विशेष टीम ने तकनीकी एवं मुखबि की सूचना के आधार पर स्थाई वारंटी महेश अग्रवाल पुत्र मातादीन अग्रवाल और उसकी पत्नी सुनिता अग्रवाल प्रताप नगर, मुरलीपुरा हाल किराएदार रानीबाग, नई दिल्ली निवासी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि दोनो वांछित मुल्जिम गिरोह के रूप में स्टील व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी से स्टील व अन्य माल खरीद कर फरार हो गए थे। दोनो इनामी बदमाश अलग-अलग जगहों पर अपनी असली पहचान छीपा कर फरारी काट रहे थे। पुलिस ने बताया कि इनामी बदमाश महेश अग्रवाल विश्वकर्मा थाने से टॉप -10 अपराधियों में एवं सहायक पुलिस आयुक्त चौधू सर्फिल के टॉप -10 अपराधियों की सूची में शामिल है।

पाचा क्लब के बाहर देर रात युवतियों से छेड़छाड़

दो पक्षों में चले लात-धूँसे, आधा दर्जन उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में लिया

जयपुर (कास)। महेश नगर थाना इलाके में स्थित पालिका बाजार के समीप पाचा क्लब में शुक्रवार देर रात 2 बजे कुछ युवतियों से छेड़छाड़ की बात को लेकर दो पक्ष आमने-सामने हो गए। जिसके बाद दोनो पक्षों में जमकर मारपीट और लाठी-भांटा जग छीड़ गई। गुस्साए दोनो पक्षों ने पालिका बाजार के बाहर पार्किंग में खड़ी कारों के शीशे तोड़ दिए। जबकि पालिका बाजार के ठीक सामने महेश नगर पुलिस चौकी स्थित है। लेकिन बदमाशों पर पुलिस चौकी का भी कोई प्रभाव दिखाई नहीं दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर दोनो पक्षों के कुछ लोग मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने इस मामले में आधा दर्जन उपद्रवियों को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार कर एक चौपटिया वाहन को भी जब्त किया है।

■ महेश नगर पुलिस चौकी के पास की घटना, देर रात 2 बजे तक संचालित था पाचा क्लब

बताया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग में पाचा क्लब संचालित हो रहा है वो बिल्डिंग ओके प्लस ग्रुप है और पूर्व में कई बार पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन आज तक इस क्लब के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं की है। जिसके चलते क्लब के मालिक के हौसल बुलन्ध होते नजर आ रहे हैं।

पेंशन नियमों के विपरीत जाकर रिटायर प्रिंसिपल की पेंशन रोकने पर जवाब मांगा

जयपुर (कास)। राजस्थान हाईकोर्ट ने पेंशन नियमों के विपरीत जाकर राज्यपाल की बजाय माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से रिटायर प्रिंसिपल की पेंशन का का कुछ हिस्सा रोकने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और पेंशन निदेशक के अधीन कुछ अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत से तीन-चार साल दिसंबर 2009 से पोषाहार में गबन हो रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर याचिकाकर्ता ने तत्काल बामनवास थाने में एफआईआर दर्ज कराई। इससे विभाग को पैसा वापस मिला। वहीं जिला परिषद सवाई माधोपुर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की जांच में प्रार्थी को दोषमुक्त किया और दोषी अफसर व कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई। इसके बावजूद विभाग

माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने उसकी दस फीसदी पेंशन रोकने का दंडादेश दिया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि वह बामनवास में ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के तौर पर अक्टूबर 2014 से जून 2015 तक कार्यरत रहा। उस दौरान कार्यालय के अधीन कुछ अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत से तीन-चार साल दिसंबर 2009 से पोषाहार में गबन हो रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर याचिकाकर्ता ने तत्काल बामनवास थाने में एफआईआर दर्ज कराई। इससे विभाग को पैसा वापस मिला। वहीं जिला परिषद सवाई माधोपुर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की जांच में प्रार्थी को दोषमुक्त किया और दोषी अफसर व कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई। इसके बावजूद विभाग

ने प्रार्थी को सीसीए नियमों में चार्जशीट दी, जिसका याचिकाकर्ता ने जवाब दे दिया।

इस दौरान उसके रिटायर होने पर भी जांच जारी रखी और 17 दिसंबर 2024 को माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी कर उसकी दस फीसदी पेंशन रोक ली। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता राज्य सेवा के अधिकारी के तौर पर रिटायर हुआ था और राजस्थान पेंशन नियमों के अनुसार केवल राज्यपाल राज्य सेवा के अधिकारी के खिलाफ दंडादेश जारी कर सकते हैं। इसलिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक के आदेश को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

जयपुर कलक्टर के निर्देश पर फील्ड में उतरे अधिकारी

स्वास्थ्य केन्द्र और श्री अन्नपूर्णा रसोई का औचक निरीक्षण किया



जयपुर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने शनिवार को अपने अपने क्षेत्रों में जाकर विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत जांची।

■ अधिकारियों का यह दल अपनी रिपोर्ट कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र सोनी को सौंपेगे

उपकरण, साफ-सफाई एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं को गहन समीक्षा की गई। अधिकारियों ने स्वास्थ्य केन्द्रों में उपचारित मरीजों एवं उनके परिजनों से संवाद कर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर फीडबैक भी प्राप्त किया तथा पाई गई कमियों को शीघ्र सुधारने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही अधिकारियों ने श्री अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता व्यवस्था, बैठने की सुविधा, पेयजल सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान लाभार्थियों से सीधा संवाद कर भोजन की गुणवत्ता एवं सेवाओं को लेकर

उनकी राय भी जानी गई तथा व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

कलक्टर के निर्देशों की अनुपालना में अधिकारियों ने विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) के तहत जारी कार्यों का मौके पर जाकर निरीक्षण किया तथा कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता एवं समयबद्ध क्रियान्वयन की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों एवं कार्मिकों को कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं गति बनाए रखने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण उपरित सभी अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपनी निरीक्षण रिपोर्ट जिला कलक्टर को प्रस्तुत की गई है, जिसके आधार पर आवश्यक सुधारतात्मक एवं प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।